तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/11/25	पुकार कराई प्रार्थी वकुलाए फरीकन उप./अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/कार्यस्थगित पर है। अतः पत्रवली वास्ते प्रतिवाद दिनांक 19.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/11/25	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाए पक्षकारान उप. कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब आवश्यक रूप से पेश हो पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 21/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21-11-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उप.। हमने प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्रकरण से संबंधित दावे में भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है तथा उनके हकों का निर्धारण दावे में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो तथा संलग्न मूल वाद हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज.	